दिनांक–06.04.2026 को विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया जी एवं शेरघाटी का विभागीय कार्यों के प्रगति के संबंध में आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

---

1. गया जीः–

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया जी अंतर्गत प्रखंड–कोंच, पंचायत–गहौरपुर के वार्ड नं0–05 में योजना बंद है। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 150 मीटर पाईपलाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण जलापूर्ति बाधित है एवं एजेंसी को O&M Extension देने के वाबजूद कार्य को नहीं किया जा रहा है। सहायक अभियंता (मु0) से पृच्छा करने पर बताया गया कि 150 मीटर पाईपलाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण एवं स्टॉटर जल जाने के कारण योजना बंद है। क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना एवं सहायक अभियंता (मु0) को निदेश दिया गया कि प्रमंडल गया जी अंतर्गत प्रखंड–कोंच, पंचायत–गहौरपुर के वार्ड नं0–05 में उक्त परिप्रेक्ष्य में MIS Portal से मापी–पुस्त एवं विद्युत विपत्र के आधार पर योजना की जाँच करेंगे। साथ ही संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि ऐसे संवेदक जो O&M Extension देने के बावजूद योजना को क्रियाशील बनाए रखने में लापरवाही बरतते हैं तो उनके विरूद्ध एकरारनामा में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः– क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना / संबंधित कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता (मु0)।

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया जी अंतर्गत प्रखंड–टिकारी, पंचायत–नोनी के वार्ड नं0–11 में 30 घरों में आच्छादन क्षेत्र में छूटे हुए गृह संयोजन एवं आच्छादन क्षेत्र में गृह संयोजित 60 घरों में जलापूर्ति नहीं दी जा रहा है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि नाला बनाने के क्रम में पाईपलाईन क्षतिग्रस्त हो गया है। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा आश्वासन दिया गया कि 30 घरों में आच्छादन क्षेत्र में छूटे हुए गृह संयोजन एवं आच्छादन में गृह संयोजित 60 घरों में जलापूर्ति 4 दिन की अवधि के अंदर जलापूर्ति बहाल सुनिश्चित कर दिया जाएगा। साथ ही सहायक अभियंता (मु0) को निदेशित किया गया कि पांचवें दिन जाकर योजना को देखेंगे एवं MIS पर ZOD में अभियुक्ति कॉलम में लिखेंगे कि कार्य को पूर्ण किया गया या नहीं।

अनुपालनः– संबंधित कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता (मु0)।

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया जी अंतर्गत प्रखंड–टिकारी, पंचायत–भोरी के वार्ड नं0–05 में 30 घरों में आच्छादन क्षेत्र में छूटे हुए गृह संयोजन एवं आच्छादन में गृह संयोजित 40 घरों में जलापूर्ति नहीं दी जा रहा है। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि बोरिंग का कार्य प्रगति पर है एवं एक सप्ताह में 30 घरों में आच्छादन क्षेत्र में छूटे हुए गृह संयोजन एवं आच्छादन में गृह संयोजित 40 घरों में जलापूर्ति बहाल सुनिश्चित कर दी जाएगी।

अनुपालनः– संबंधित कार्यपालक अभियंता।

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया जी अंतर्गत प्रखंड–टिकारी, पंचायत–महामना के वार्ड नं0–05 में 10 घरों में आच्छादन क्षेत्र में छूटे हुए गृह संयोजन एवं आच्छादन में गृह संयोजित 20 घरों में जलापूर्ति नहीं दी जा रहा है। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि पाईपलाईन क्षतिग्रस्त रहने के कारण योजना बंद है। संबंधित

कार्यपालक अभियंता को योजना को सुचारू रूप से क्रियाशील करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया जी अंतर्गत प्रखंड–बोधगया पंचायत–मोचारिम के वार्ड नं0–13 में आच्छादन में गृह संयोजित 45 घरों में जलापूर्ति नहीं दी जा रहा है। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि बोरिंग का डिस्चार्ज कम है, इसलिए वहां नए बोरिंग की आवश्यकता है। संबंधित कार्यपालक अभियंता को योजना को सुचारू रूप से क्रियाशील करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया। विशेष सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि संबंधित कार्यपालक अभियंता, पूर्व में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता द्वारा इस योजना को छूटे हुए टोला अंतर्गत क्यों नहीं लिया गया है, उनके विरूद्ध कार्रवाई करने का प्रस्ताव दिए जाने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– अभियंता प्रमुख सह–विशेष सचिव के प्रावैद्यिक सचिव (मु0)/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया जी अंतर्गत प्रखंड–बोधगया पंचायत–नवान के वार्ड नं0–01 में आच्छादन में गृह संयोजित 05 घरों में जलापूर्ति नहीं दी जा रहा है। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि यह PRD की योजना है एवं 5 साल से पम्प ऑपरेटर का लंबित मानदेय भुगतान के कारण योजना बंद है। संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि पम्प ऑपरेटर का भुगतान सुनिश्चित कर, योजना को क्रियाशील करें।

अनुपालनः– संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया जी अंतर्गत प्रखंड–अतरी पंचायत–सहोरा के वार्ड नं0–07 में 150 घरों में आच्छादन क्षेत्र में छूटे हुए गृह संयोजन एवं आच्छादन में गृह संयोजित 150 घरों में जलापूर्ति नहीं दी जा रहा है। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि यहाँ घरों में कनेक्शन नहीं दिया गया है, यह PRD की योजना है। विशेष सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से जांच कर मुख्यालय को प्रतिवेदित करेंगे, साथ ही पूर्व में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता द्वारा इन योजनाओं को छूटे हुए टोलों में क्यों नहीं लिया गया, उनके विरूद्ध कार्रवाई करने का प्रस्ताव दिए जाने का निदेश दिया गया। साथ ही 4 सप्ताह के अंदर छूटे हुए घरों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– अभियंता प्रमुख सह–विशेष सचिव के प्रावैद्यिक सचिव (मु0)/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

2. शेरघाटीः–

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेरघाटी अंतर्गत प्रखंड–फतेहपुर, पंचायत–नौहडीह के वार्ड नं0–12 में 5 घरों में जलापूर्ति नहीं कि जा रही है एवं कई घरों में कनेक्शन नहीं दिया गया है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि इन योजनाओं को चेक करेंगे एवं योजना का सुचारू रूप से जलापूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः– संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेरघाटी द्वारा बताया गया कि प्रखंड–डोभी के वार्ड नं0–10 में जमीन विवाद होने के कारण 5 घरों में पाईपलाईन नहीं पहुँच पा रही है, जबकि 10 घरों में कनेक्शन हो चुका है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया गया कि स्थानीय लोगों से वार्ता कर योजना को ससमय सुचारू करवायेंगे।

अनुपालनः– संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता ।

- ❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेरघाटी अंतर्गत प्रखंड–गुरूआ के वार्ड नं0–08 में पाईपलाईन में लिकेज होने के कारण योजना बंद हैं। संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि शीघ्र ही मरम्मति कर योजना को क्रियाशीलता में लाऐंगे।

अनुपालनः– संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेरघाटी द्वारा बताया गया कि अंतर्गत प्रखंड–फतेहपुर के वार्ड नं0–12 में कोई मौजूदा योजना नहीं थी, इसलिए वहाँ स्टैंडपोस्ट के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। विशेष सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि पूर्व में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता द्वारा इन योजनाओं को छूटे हुए टोलों में क्यों नहीं लिया गया, उनके विरूद्ध कार्रवाई करने का प्रस्ताव दिए जाने का निदेश दिया गया। साथ ही संबंधित कार्यपालक अभियंता को योजना को क्रियाशीलता की स्थिति में लाने के लिए 20 दिन का समय दिया गया।

अनुपालनः– अभियंता प्रमुख सह–विशेष सचिव के प्रावैद्यिक सचिव (मु0)/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

3. अन्यान्यः–

- ❖ सभी सहायक अभियंता (मु0) को निदेश दिया गया कि जिन जगहों पर योजना की जाँच के लिए जाते हैं तो कम–से–कम पाँच स्थानीय लोगों से योजना की क्रियाशीलता/अक्रियाशीलता के संबंध में वार्ता कर उनका मोबाइल नंबर लेना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः– सभी सहायक अभियंता (मु0)।

- ❖ सभी सहायक अभियंता (मु0) को निदेश दिया गया कि योजना की जाँच के क्रम में अभियुक्ति कॉलम में अंकित करेंगे कि संबंधित योजना कितनी राशि का है, योजना से संबंधित संवेदक का नाम, किस तिथि को O&M भुगतान किया गया है एवं किस तिथि से O&M भुगतान नहीं हुआ है, संवेदक द्वारा योजना में विद्युत विपत्र के बकाये राशि में कितना भुगतान किया गया है एवं कितना विद्युत विपत्र का बकाया राशि का भुगतान करना शेष है, कितने घरों में जलापूर्ति नहीं की जा रही है, भू–जलस्तर की जाँच करेंगे, कितने मीटर पाईपलाईन क्षतिग्रस्त है एवं कितने जगह नया पाईपलाईन बिछाने की आवश्यकता है।

अनुपालनः– संबंधित सभी सहायक अभियंता (मु0)।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई।

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

35

ज्ञापांकः– 14/बैठक–101/25–381 दिनांक– 12/5/26

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, पटना/अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, गया जी/कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया जी एवं शेरघाटी/संबंधित सहायक यांत्रिक अभियंता–सह नोडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल/संबंधित कनीय अभियंता(यांत्रिक सहित) बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/5

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/बैठक–101/25–381 दिनांक– 12/5/26

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0/का0प्र0)/अपर सचिव/सभी मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार/दक्षिण बिहार/यांत्रिक/अनुश्रवण)/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव के प्रावैधिक सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी संबंधित नोडल पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/आइटी मैनेजर/संबंधित सहायक अभियंता/संबंधित नामित नवनियुक्त सहायक अभियंता (मु0)/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/5

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/बैठक–101/25–381 दिनांक– 12/5/26

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के प्रधान आप्त सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

11/5

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)